



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08092025-266008
CG-MH-E-08092025-266008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]
No. 615]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/263.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम 18 जून, 2025 से लागू हुए माने जाएँगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में,-

I. अनुसूची में, सारणी में,

- i. पंक्ति-2 में, कॉलम-1 में, शब्दों तथा चिह्न “कार्यपालक निदेशक (विधि) के बाद चिह्न तथा शब्द “/ मुकदमे) और कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) जोड़े जाएँगे।
- ii. पंक्ति-2 में, कॉलम-2 में, चिह्नों, अक्षर तथा शब्द “(क) पदोन्नति” के स्थान पर चिह्न, अक्षर तथा शब्द “(क) संबंधित धाराओं से पदोन्नति के जरिए” आ जाएँगे।
- iii. पंक्ति-2 में, कॉलम-2 में, शब्दों तथा चिह्नों “कुल पदों में से दो-तिहाई पद आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) से और एक-तिहाई पद (जो तीन से अधिक नहीं होंगे) प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) / संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर भरे जाएँगे” के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न “अधिक से अधिक 3 पद ही प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) / कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) आधार पर भरे जाएँगे और शेष पद आंतरिक उम्मीदवारों (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके भरे जाएँगे” आ जाएँगे।
- iv. पंक्ति-3 में, कॉलम-1, शब्दों तथा चिह्न “कार्यपालक निदेशक (विधि) के बाद चिह्न तथा शब्द “/ मुकदमे” जोड़े जाएँगे।
- v. पंक्ति-3 में, कॉलम-3 में, शब्दों तथा चिह्न “किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एलएलबी” से पहले शब्द, अंक तथा चिह्न “कम से कम 40 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष।” जोड़े जाएँगे।
- vi. कॉलम-1, पंक्ति-3 के बाद और पंक्ति-4 से पहले, एक नई पंक्ति जोड़ी जाएगी, जिसमें शब्द तथा चिह्न इस प्रकार होंगे - “कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)”।
- vii. कॉलम-3 में, पंक्ति-3 के बाद और पंक्ति-4 से पहले, एक नई पंक्ति जोड़ी जाएगी, जिसमें शब्द, अंक तथा चिह्न इस प्रकार होंगे, अर्थात्,-
 “कम से कम 40 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष।
 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर एप्लिकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) में स्नातकोत्तर योग्यता (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) के साथ किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव [योग्यता (अर्हता) हासिल करने के बाद का]।”
- viii. कॉलम-4 में, पंक्ति-3 के बाद और पंक्ति-4 से पहले, एक नई पंक्ति जोड़ी जाएगी, जिसमें शब्द तथा चिह्न इस प्रकार होंगे - “सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति - जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर एप्लिकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) में स्नातकोत्तर योग्यता (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) के साथ किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि हो, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव [योग्यता (अर्हता) हासिल करने के बाद का] हो।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./348/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. ये विनियम तत्पश्चात् -

- (क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा
- (ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा
- (ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा
- (घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा
- (ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा
- (च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा
- (छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा
- (ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा
- (झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/27/6721, द्वारा
- (ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा
- (ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/002, द्वारा
- (ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा
- (ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा
- (ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा
- (ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा

- (त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा
- (थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा
- (द) 31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा
- (ध) 13 अगस्त 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29, द्वारा
- (न) 8 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/15, द्वारा
- (प) 5 अगस्त 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/26, द्वारा
- (फ) 24 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/65, द्वारा
- (ब) 22 जून 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/87, द्वारा
- (भ) 30 दिसम्बर 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/111, द्वारा
- (म) 15 मई 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/129, द्वारा
- (य) 20 अक्तूबर 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/156, द्वारा
- (कक) 7 फरवरी 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/165, द्वारा
- (खख) 6 मई 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/172, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th September, 2025

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2025**

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/263.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall be deemed to have come into force from June 18, 2025.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001—

I. In the Schedule, in the Table,

- i. in row 2, in column 1, after the words and symbols “post of Executive Director (Law”, the words and symbols “/Litigation) and Executive Director (Information technology)” shall be inserted.
- ii. in row 2, in column 2, after the words and symbols “(a) promotion”, the words and symbols “from relevant streams” shall be inserted.
- iii. in row 2, in column 2, the words and symbols “2/3rd of the total posts from internal candidates and 1/3rd posts, not more than 3, to be filled up by deputation/ contract” shall be substituted with “Not more than 3 posts to be filled up by deputation/contract and remaining posts from internal candidates through promotion”.
- iv. in row 3, in column 1, after the words and symbols “Executive Director (Law”, the words and symbols “/Litigation” shall be inserted.
- v. in row 3, in column 3, before the words “LLB from a recognized university”, the words “Not less than 40 years and not more than 55 years” shall be inserted.
- vi. in column 1, after row 3 and before row 4, a new row shall be inserted with the words and symbols “Executive Director (Information Technology)”.
- vii. in column 3, after row 3 and before row 4, a new row shall be inserted with the following words and symbols, namely, -

“Not less than 40 years and not more than 55 years.

Bachelor's Degree in Engineering in any branch or Bachelor's Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum two years' duration) in computer science/ computer application/ information technology from a recognized University/ Institute with a minimum of 20 years of post-qualification experience in information technology.”.

- viii. in column 4, after row 3 and before row 4, a new row shall be inserted with the words and symbols “Deputation from Govt., RBI, Banks, Financial Institutions, having Bachelor’s Degree in Engineering in any branch or Bachelor’s Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum two years’ duration) in computer science/ computer application/ information technology from a recognized University/ Institute with a minimum of 20 years of post-qualification experience in information technology.”.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./348/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).

2. They were subsequently amended –

- (a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.
- (b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).
- (c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.
- (d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.
- (e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.
- (f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.
- (g) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.
- (h) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.
- (i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.
- (j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.
- (k) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.
- (l) On 30th November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.
- (m) On 15th December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.
- (n) On 27th April, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.
- (o) On 17th May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.
- (p) On 13th July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.

- (q) On 27th April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.
- (r) On 31st May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.
- (s) On 13th August, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29.
- (t) On 8th May 2019 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15.
- (u) On 5th August, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/26.
- (v) On 24th January, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2022/65.
- (w) On 22nd June, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/87.
- (x) On 30th December, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/111.
- (y) On 15th May, 2023 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/129.
- (z) On 20th October, 2023 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/156.
- (aa) On 7th February, 2024 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2024 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/165.
- (bb) On 6th May, 2024 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/172.